न्यायालय : अमित मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बरेली जिला रायसेन (म.प्र.)

Registration No.RCT/436/2023
Filing No. RCT/1725/2023
CNR No.MP 3805-5002224-2023
Filing Date 03/08/2023

निर्णय दिनांक 21/01/2025
(आपराधिक प्रकरण कमांक 436/2023)
पुलिस थाना बाड़ी, तहसील बरेली जिला रायसेन के अपराध कमांक 129/2023 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण

फार्म–ई

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सुनील नागा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. रामगोपाल उर्फ सूखा, आयु–41 वर्ष, आत्मज–मुंशीलाल चौहान, निवासी–निवासी–ग्राम मंगरोल तहसील व थाना बाड़ी जिला रायसेन म.प्र. 2. मोहित चौहान, आयु–21 वर्ष, आत्मज–रामगोपाल चौहान, निवासी–ग्राम मंगरोल तहसील व थाना बाड़ी जिला रायसेन म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अनिल आर्य अधिवक्ता

घटना दिनांक	17.05.2023
प्र.सू.रि. की तिथी	18.05.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	02.08.2023
आरोप के विरचना की दिनांक	24.11.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथी	25.01.2024
निर्णय हेतु आरक्षित किये जाने की दिनांक	21.01.2025
निर्णय की तिथी	21.01.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथी	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	आरोपी को सूचना की तिथी	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	रामगोपाल उर्फ सूखा	20.05.2023	294,323 / 34, 324 / 34,506 भाग–दो भा.द.वि.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
2	मोहित चौहान	20.05.2023	294,323 / 34, 324 / 34,506 भाग–दो भा.द.वि.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

प्ररूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	आयुष चौहान	प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्षी
अ.सा. 2	पप्पू उर्फ शोभाराम चौहान	आहत साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
अ.सा. 1	प्रदर्श पी. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
	प्रदर्श पी 2	पुलिस कथन
अ.सा. 2	प्रदर्श पी. 3	अपराध विवरण का फॉर्म
	प्रदर्श पी. 4	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

पुलिस थाना बाड़ी, तहसील बरेली जिला रायसेन के अपराध क्रमांक 129/2023 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण क्रमांक–436/2023 मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध मोहित व अन्य।

निर्णय

(आज दिनांक 21.01.2025 को घोषित)

01– अभियुक्तगण का विचारण दिनांक 17.05.2023 को समय लगभग 21:00 से 21:15 बजे ग्राम मांगरोल अंतर्गत थाना बाड़ी में लोकस्थान या उसके समीप फरियादी आयुष चौहान को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में फरियादी आयुष चौहान को हाथ मुक्कों से मारपीट

कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा सामान्य आशय निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत शोभाराम को धारदार हथियार चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित एवं फरियादी को संत्राष कारित करने के आशय से जान से खत्म कर देने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के आरोपों पर किया गया जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34, 324/34, 506 भाग–दो के अधीन दंडनीय अपराध है।

02– प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत तथा अभियुक्तगण का आपसी राजीनामा हो जाने तथा समन आवेदन प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को दिनांक 21.01.2025 को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग–दो के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03– अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आयुष चौहान ने थाना बाड़ी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई दिनांक 17.05.2023 को रात्रि के 09 बजे के करीब उसका छोटा भाई आयुष चौहान रामगोपाल उर्फ सूखा की दुकान पर कुछ सामान लेने गया था। उसका भाई तुतलाकर बोलता है। रामगोपाल की दुकान पर उसका लड़का मोहित चौहान भी बैठा था वह उसके छोटे भाई पीयूष चौहान का मजाक उड़ाने लगा और छोटे भाई पीयूष चौहान का थप्पड़ मार दिया, उसके छोटे भाई पीयूष ने घर आकर उसे उक्त बात बतायी। इसके बाद वह उसके बड़े पापा के लड़के यशराज के साथ मोहित की दुकान पर गए और उससे कहा कि वह उसके भाई का मजाक क्यों उड़ाते हो और उसे थप्पड़ क्यों मारा तो मोहित उससे कहने लगा कि तुझे क्या करना है मैं कुछ भी करूं और वह इसके बाद उसे गंदी–गंदी गालियां देने लगा, उसने गालियां देने से मना किया तो वह उसके साथ हाथ–मुक्कों से मारपीट करने लगा तभी वहां पर उसके पिता आ गए और उन्होंने बीच–बचाव किया तो मोहित चौहान ने उसकी दुकान से एक चाकू उठाकर लाया और घुमाया, चाकू को घुमाने पर उसके पिता के सिर पर लग गया, जिसके कारण उसके पिता के माथे पर चोट आई और खून निकलने लगा। घटना पप्पू चौहान और गोल चौहान ने देखी। उसके बाद मोहित चौहान वहां से भाग गया। उसके चाचा जसबंत चौहान और हेमराज चौहान उसके पिता को लेकर अस्पताल चले गए। वह उसके बाड़े के तरफ जा रहा था तभी मोहित चौहान ने उसे पकड़ लिया एवं मोहित चौहान के पिता रामगोपाल उर्फ सूखा ने हाथ–घूंसों एवं पत्थर उठाकर मारा, जिससे उसके सिर पर चोट आई गई। दोनों अभियुक्तगण कह रहे थे कि पुलिस रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार थाना बाड़ी में अपराध क्रमांक 129/2023 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506, 34 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया

एवं आरोपी मोहित चौहान से चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेख किए गए। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आरोपी के विरूद्ध जमानतीय अपराध होने के दशा में आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया जाकर शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका क्रमांक 01 में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाए जाने पर अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत किए अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्तगण द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु अग्रलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.05.2023 को समय लगभग 21:00 से 21:15 बजे ग्राम मंगरोल अंतर्गत थाना बाड़ी में सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत शोभाराम को धारदार हथियार चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित?

2. दोषसिद्धि या दोषमुक्ति?

//<u>निष्कर्ष व आधार</u>//

06— साक्ष्य की पुनरावृत्ति नही हो इस कारण सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07— आयुष चौहान अ.सा.—01 एवं पप्पू उर्फ शोभाराम अ.सा. 02 ने सारतः कथन किये हैं कि वे आरोपीगण को जानते हैं। आरोपी रामगोपाल चौहान की दुकान उनके मोहल्ले में है। घटना उनके न्यायालयीन कथन दिनांक 21.05.2025 से करीब डेढ—दो वर्ष पूर्व की रात के 9—10 बजे की ग्राम मांगरोल की है। पीयूष आरोपी की दुकान से सामान लेने गया था, पीयूष तोतला बोलता है तो आरोपीगण ने उसका मजाक उड़ाया तो वह रोते हुए घर आया, जब फरियादी आयुष और उसके पिता शोभाराम चौहान उन्हें समझाने गए तो आरोपीगण ने उनके साथ वाद—विवाद झूमा—झटकी की। झूमा—झटकी में पप्पू उर्फ शोभाराम को नुकीले पत्थर पर गिर जाने से चोट आई थी। फरियादी आयुष चौहान को भी बाहरी चोटें थीं। फरियादी आयुष चौहान अ.सा. 01 ने कथन किए कि उसने घटना के संबंध में थाना बाड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 लिखायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण ने कथन किए कि पुलिस ने उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया था और उनसे पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किए थे।

08— साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन न किए जाने पर अभियोजन अधिकारी ने साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जिनके जबाव साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव को स्पष्टतः अस्वीकार किया कि आरोपी मोहित चौहान उसकी दुकान में से चाकू उठाकर लाया और घुमाया तो पप्पू उर्फ शोभाराम के माथे पर चोट लगकर खून निकलने लगा। फरियादी आयुष चौहान अ.सा.01 को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी—02 तथा आहत पप्पू शोभाराम अ.सा.02 को उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—04 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षीगण ने उक्तानुसार कथन लेख कराए जाने इंकार किया। साक्षीगण ने इस सुझाव को स्वीकार किया उनका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है, किंतु इस सुझाव का अस्वीकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वे न्यायालय में असत्य कथन कर रहे हैं।

09— आरोपीगण द्वारा आहत शोभाराम के साथ धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर उपहति कारित किए जाने के संबंध में फरियादी आयुष चौहान आ.सा. 01 एवं आहत पप्पू उर्फ शोभाराम आ.सा. 02 ने अभियोजन कथा का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया। पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने तथा समझौता करने के कारण अभियोजन अधिकारी द्वारा किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा आहत शोभाराम के साथ धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

10— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 17.05.2023 को समय लगभग 21:00 से 21:15 बजे ग्राम मंगरोल अंतर्गत थाना बाड़ी में सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत शोभाराम को धारदार हथियार चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की परिणामतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437—ए के प्रावधान अनुसार 06 माह की अवधि के लिए विस्तारित किए जाते हैं इस अवधि में यदि अभियुक्तगण को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है या कोई आदेशिकाएं प्राप्त होती है तो अभियुक्तगण उपस्थित रहेगें एवं उपस्थित रखा जावेगा। उक्त अवधि पश्चात अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारतमुक्त समझे जाएंगें।

12— प्रकरण में जप्तुशुदा संपत्ति चाकू मूल्यहीन होने अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

13— प्रकरण में अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा

न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत नहीं की गई है। अतः अभियुक्तगण का निरंक अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर संलग्न किया जाए।

दिनांकः— 21.01.2025

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

स्थानः— बरेली

AMIT MALVIYA
Digitally signed by AMIT MALVIYA
Date: 2025.01.21 17:14:00 +0530

(श्री अमित मालवीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.)